प्रपत्र : 1 कुल पृष्ठ – 4

प्रथम सूचना रिपोर्ट

(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रकिया संहिता)

1. जिला.चौकी ,एसीबी, अजमेर ..... थाना.सीपीएस, एसीबी, जयपुर वर्ष .....2022.....

प्र. इ. रि. स. .....510/22..... दिनांक .....30/12/2022.....

2. (अ) अधिनियम ... **भ्रष्टाचार निवारण (सशोंधन) अधिनियम 2018 .....धारायें...77ए .....**

(ब) अधिनियम.....**भारतीय दण्ड संहिता.....धारायें. ..... 120बी .....**

(स) अधिनियम .....धारायें.....

(द) अन्य अधिनियम एवं धारायें .....

3. (अ) रोजनामचा आम रपट सख्या .....6.11.....समय.....6:40 P.M.

(ब) अपराध घटने का दिन–दिनांक 30.07.2022 .....

(स) थाना पर सूचना प्राप्त होने का दिनांक 29.07.2022.....

4. सूचना की किस्म :– लिखित/मौखिक – लिखित

5. घटनास्थल :–

(अ) पुलिस थाना से दिशा व दूरी – बजानिब दक्षिण पश्चिम 135 किलोमीटर .....

(ब) पता – .....पुलिस थाना बिलाडा जिला जोधपुर.....

बीट सख्या .....जरायमदेही सं.....

(स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो

पुलिस थाना.....जिला.....

6 परिवादी/सूचनाकर्ता :–

(अ) नाम.... श्री महेन्द्र .....

(ब) पिता का नाम ..... चुन्नीलाल.....

(स) जन्म तिथि /वर्ष .....39 साल.....

(द) राष्ट्रीयता.....भारतीय .....

(य) पासपोर्ट सख्या .....जारी होने की तिथी.....

जारी होने की जगह.....

(र) व्यवसाय..... .....प्राईवेट .....

(ल) पता ... गांव छितरिया तहसील सोजत सिटी जिला पाली .....

7 ज्ञात/अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तो का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टियों सहित :–

1. श्री नन्द किशोर पुत्र श्री श्याम दास उम्र 51 साल निवासी गांव देवरिया जैतारण जिला पाली हाल उप निरीक्षक पुलिस थाना बिलाडा जिला जोधपुर ग्रामीण
2. ओम सिंह निवासी बिलाडा जिला जोधपुर(प्राईवेट व्यक्ति)

8 परिवादी/ सूचनाकर्ता द्वारा इत्तला देने में विलम्ब का कारण :–कोई नही.....

9. चुराई हुई / लिप्त सम्पति की विशिष्टियां (यदि अपेक्षित होतो अतिरिक्त पन्ना लगायें)

.....

10. चुराई हुई /लिप्त सम्पति का कुल मूल्य .... पंचनामा/ यू.डी. केस सख्या (अगर हो तो).....

.....

11 .....

विषय वस्तु प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (अगर अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगाये)

महोदय,

निवेदन है कि दिनांक 29.07.2022 को परिवादी श्री महेन्द्र पुत्र श्री चुन्नीलाल जाति जाट उम्र 39 साल निवासी गांव छितरिया तहसील–सोजत सिटी जिला पाली द्वारा श्री सतनाम सिंह अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो अजमेर को जरिये मोबाईल फोन इत्तला दी कि पुलिस थाना बिलाडा जिला जोधपुर में पदस्थापित दो उप निरीक्षक उससे रिश्वत की मांग कर रहे है, जिस पर श्री सतनाम सिंह अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय श्री कैलाश चारण हैड कानि नम्बर 94 मय प्राईवेट वाहन मय वॉयस रिकॉर्डर, मैमोरी कार्डस, लैपटॉप प्रिन्टर आदि के एसीबी चौकी अजमेर से रवाना होकर बिलाडा जिला जोधपुर पहुंचे, जंहा पर बिलाडा–अजमेर मार्ग पर गोपनीय स्थान पर परिवादी उपस्थित मिला। परिवादी ने एक प्रार्थना पत्र अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को इस आशय का प्रस्तुत किया कि "निवेदन है कि मै प्रार्थी महेन्द्र पुत्र श्री चुन्नीलाल जाति जाट उम्र 39 साल निवासी गांव छितरिया तहसील–सोजत सिटी जिला पाली हुं। मेरे विरूद्व पुलीस थाना बिलाडा मे दो प्रकरण दर्ज है। प्रकरण का नम्बर 54/2022 धारा 406,420,120 बी आईपीसी है जिसकी जांच श्री नरेन्द्र सिंह उप निरीक्षक कर रहे है तथा प्रकरण संख्या 162/2022 धारा 370,420, व 120 बी आईपीसी है जिसकी जांच श्री नन्द किशोर उप निरीक्षक कर रहे है। मेरे इन दोनो प्रकरणो मे मेरी मदद करने व एफ आर लगाने की एवज मे श्री नरेन्द्र सिंह उप निरीक्षक स्वंय व सीआई साहब श्री बाबुलाल राणा के लिये

40000 रूपये व दूसरे मामले मे नन्द किशोर वैष्णव उप निरीक्षक स्वंय के लिये 20,000 रूपये की मांग कर रहे है। मै पहले भी मजबूरी वश इन दोनो अधिकारियो को 50,000– 50,000 रूपये दे चुका हु। मै इन दोनो मामलो मे निर्दोष हूं। मै श्री नरेन्द्र सिंह व श्री नन्द किशोर वैष्णव को रिश्वत नही देना चाहता हुं। कृपया कार्यवाही करे।" दरियाफ्त पर परिवादी ने प्रार्थना पत्र स्वंय की हस्तलेखनी मे अकिंत होकर हस्ताक्षरित होना बताते हुये इसमें अकिंत तथ्य सही होना अवगत करवाया। परिवादी ने बताया कि कि उसके विरूद्व पुलिस थाना बिलाडा, जोधपुर में जो प्रकरण दर्ज करवाये गये है उसमें यदि वह इन उप निरीक्षक को रिश्वत राशि नही देगा तो प्रकरणो में मुझे झूठां फंसाते हुये मेरे विरूद्व गलत कार्यवाही करते हुये मुकदमों मे चालान कर देंगें। मेरे द्वारा इन्हे रिश्वत राशि नही देकर आपसे जरिये मोबाईल फोन सम्पर्क किया। मेरे खिलाफ ये दोनो केस होने के बाद में पुलिस वाले मेरे से खर्चा पानी मांग रहे थे। मै निर्दोष था इसलिये मैने उन्हे कुछ भी पैसा नही दिया। दिनांक 21.06.2022 को सुबह 8–8.30 बजे मुझे पुलिस थाना बिलाडा बुलाया। मै थाने पर गया वंहा पर नरेन्द्र सिंह व नन्द किशोर उप निरीक्षक उपस्थित थे। वे दोनो मुझे सीआई साहब के कमरे मे ले गये तथा सीआई साहब ने मेरे केस के सम्बन्ध मे उनसे बात की तथा दोनो ने ही सीआई साहब को कहा कि केस दर्ज हुये काफी समय हो गया है ये खर्चा पानी नही दे रहा है। सीआई साहब ने कहा कि इसको हवालात मे डाल दो। मुझे ऐसे ही थाने की हवालात मे डाल दिया मेरी पत्नि मुझे ढूढंती हुई थाने पर आयी तो उन्होने मेरी पत्नि से मुझे मिलने तक नही दिया। मेरी पत्नि थाने के बाहर ही बैठी रही। मुझे उस दिन व रात भर थाने की हवालात में रखा तथा मेरी पत्नि मेरे छोटे बच्चे के साथ मे रात भर भूखी प्यासी थाने के बाहर ही रही। अगले दिन नरेन्द्र व नन्द किशोर ने मेरे से रूपये मांगे तो मैने कहा कि मेरी पत्नि को मेरे से मिला दो मै उसे कहता हूं वो कंही से व्यवस्था करके पैसे लेकर आयेगी। उन्होने मेरी पत्नि से मेरी मुलाकात करवाई। मैने मेरी पत्नि को कहा कि जितने भी रूपये की व्यवस्था हो लेकर आ जा मेरी पत्नि पैसे की व्यवस्था करने गई। मेरी पत्नि महाराष्ट्र की है तथा उसकी कोई जान पहचान भी नही होने के कारण वह पैसो की व्यवस्था नही कर पायी तथा हमारी बचत के जो पांच सात हजार रूपये थे वो लेकर आयी। मैने नरेन्द्र सिंह व नन्द किशोर को कहा कि आप मुझे छोड दो मै पैसो की व्यवस्था कर दूंगा। मेरी पत्नि पैसो की व्यवस्था नही कर पायेगी। फिर रात में करीब आठ बजे उन्होने मुझे छोडा तथा मैने पैसो की व्यवस्था कर नरेन्द्र सिंह को 50000 रूपये दिये। अगले दिन नन्द किशोर मेरे से मेरी दुकान पर आकर मिला तथा गाली गलौच करते हुये बोला कि तूने मुझे कुछ नही दिया। मैने उसे कहा कि मै पचास हजार रूपये नरेन्द्र सिंह को दे चुका हूं। तो उसने कहा कि मुझे भी पहले पचास हजार रूपये दे नही तो हवालात मे डाल दूंगा। मै डर गया तथा उस समय मेरे पास दस हजार रूपये थे वो लेकर नन्द किशोर वंहा से चला गया। इसके बाद में नन्द किशोर जब भी मुझे कंही पर मिलता तो मेरे पास जो भी पैसे होते वो मेरे से ले लेता। वह कभी मेरी दुकान के पास,कभी मेरे गांव वाले रास्ते पर होटल भावना के पास रोककर मेरे से रूपये ले लेता है।एक बार उन्होने किसी ओम जी नाम के व्यक्ति को भी मेरे पास भेजा था तथा उसके मोबाईल से मेरी बात करवाई थी तथा पैसे देने का कहा परन्तु मैने कहा कि आज पैसे नही है। वह हमेशा ही अलग अलग टाईम पर व अलग अलग जगह पर अपने हिसाब से आता तथा मेरे से पैसे ले जाता अब तक वह मेरे से 50000 रूपये ले जा चुके है। नन्द किशोर ने मेरे से कह रखा है कि तू मेरे से मोबाईल पर बात मत करना । मै ही तेरे से सम्पर्क कर लूंगा। कभी कभार हमारी मोबाईल पर बात भी हुई है तो वह वाट्स अप कॉल पर हुई है उसने सामान्य कॉल करने के लिये मना कर रखा है तथा वह मेरा फोन उठाता भी नही है। मै जब भी उनसे मिलता हूं तो नन्द किशोर जी मेरी तलाशी लेते है तथा मेरा मोबाईल फोन चैक करते है। मोबाईल फोन को लेकर दूर रख देते है। नन्द किशोर के पास एक कार है जिसके नम्बर आरजे 22 सीबी 9810 है। कार हुण्डई कम्पनी की आई 10 है। नन्द किशोर ज्यादातर इसी कार से आता है। अब ये दोनो अधिकारी मेरे से फिर से रिश्वत मांग रहे है। मै इन दोनो ही प्रकरणो मे निर्दोष हूं। मै नरेन्द्र सिंह व नन्द किशोर वैष्णव उप निरीक्षकों को रिश्वत नही देना चाहता हूं। पूछने पर बताया कि मेरी इन दोनो ही उप निरीक्षकों से कोई रजिंश नही है तथा हमारा कोई उधार का लेनदेन भी नही है। रिपोर्ट परिवादी व दरियाफ्त से मामला रिश्वत राशि मांग का पाया जाने से परिवादी को रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता के सम्बन्ध में बताया गया। परिवादी ने अवगत करवाया कि दोनो ही अधिकारी अब मेरे से ईशारो मे ही रूपये पैसो की बात करते है तथा ईशारो मे ही पैसे मांगते है तथा मेरे द्वारा पैसे नही दिये जाने पर दूसरी बात करने लग जाते है। दोनो ही बडे चालाक व चतुर है। इससे पहले भी पुलिस थाना बिलाडा मे एसीबी द्वारा कार्यवाही की गई थी इसलिये दोनो ही बडी सावधानी बरतते है। परिवादी को रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता बाबत विस्तृत रूप से समझाया गया। परिवादी ने बताया कि नन्द किशोर उप निरीक्षक अभी थोडी देर पहले भी मेरी कपडे की दुकान जो कि रोडवेज बस स्टेण्ड बिलाडा के पास ही स्थित है वंहा पर आया था तथा उस समय पर दुकान मे ग्राहक होने के कारण उसने मेरे से बात नही की तथा वंहा से चला गया। वह थोडी देर मे मेरी दुकान पर वापस आ सकता है अथवा मै पुलिस थाना जाकर नन्द किशोर से बात कर सकता हूं। नरेन्द्र सिंह उप निरीक्षक भी अभी थाने पर ही मिल सकता है इसलिये मै अभी पुलिस थाना बिलाडा जाकर इन

दोनो अधिकारियो से बात करने की कोशिश करता हूं। परिवादी को वायॅस रिकॉर्डर के संचालन की विधि की आवश्यक समझाईश की गई। समय 11.20 ए.एम. पर हमराह लाये गये वॉयस रिकॉर्डर में नया/खाली मैमोरी कार्ड डाला जाकर वॉयस रिकॉर्डर को चालू कर परिवादी को सुपुर्द कर रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता सम्पादित करने हेतु रवाना किया गया। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हैड कानि0 श्री कैलाश चारण के प्राईवेट वाहन से परिवादी के पीछे पीछे रवाना होकर पुलिस थाना बिलाडा जिला जोधपुर के पास ही अपनी उपस्थिति छिपाते हुए मुकीम रहे। समय 11.50 ए.एम. पर परिवादी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के पास उपस्थित आया तथा वायॅस रिकॉर्डर पेश किया जिसे प्राप्त कर बन्द किया गया। परिवादी ने बताया कि आपके पास से मोटर साईकिल से रवाना हुआ। रास्ते मे मेरी दुकान के पास ही नन्द किशोर उप निरीक्षक मुझे मिला जो अपनी कार में था मै उसके पास जाने लगा तो उसने हाथ के ईशारे से थाने आने का कहा जिस पर मै पुलिस थाना बिलाडा गया,जंहा पर थाने के अन्दर नन्द किशोर उप निरीक्षक नही मिले। वंहा पर श्री नरेन्द्र सिंह उप निरीक्षक थे जिनसे मैने मेरे केस के सम्बन्ध मे बात की उन्होने सीआई साहब के लिये व्यवस्था करने की कहा तथा मैने उन्हे मेरे दूसरे केस के सम्बन्ध मे नन्द किशोर जी से भी बात करने के लिये कहा था। नरेन्द्र जी ने शाम को मेरी दुकान पर भी आने के लिये कहा है। नन्द किशोर जी थाने पर नही है वह शायद ड्यूटी से कंही बाहर गये हुये है। वायॅस रिकॉर्डर को चालू करके सुना गया। परिवादी ने बताया कि अभी नन्द किशोर जी बाहर गये हुये है। मै अपने स्तर पर उनके बारे मे पता कर आपसे सम्पर्क करता हू। परिवादी को बाद आवश्यक हिदायत रवाना कर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गोपनीय स्थान पर कस्बा बिलाडा मे मय हैड कानि0 कैलाश चारण के मुकीम हुये। समय 05.00 पीएम पर परिवादी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के पास उपस्थित आया तथा अवगत करवाया कि मैने नन्द किशोर जी के बारे मे मालूमात की तो वो आज कंही बाहर गये हुये है तथा नरेन्द्र सिंह भी अभी तक मेरी दुकान पर नही आये है। आज उनके आने की सम्भावना नही है। कल सुबह नन्द किशोर जी आज की तरह मेरी दुकान पर आ सकते है। इसलिये अब उनसे कल ही रूपयो के सम्बन्ध मे बात हो सकती है तथा उनसे रिश्वत राशि के सम्बन्ध मे बात कर कल ही आगे की कार्यवाही भी हो सकती है। जिस पर परिवादी को आवश्यक हिदायत दी जाकर कल सुबह 10 बजे आगामी कार्यवाही हेतु कस्बा बिलाडा मे उपस्थित रहने की हिदायत दी जाकर रूख्सत किया गया। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक साहब द्वारा मन् उप अधीक्षक को स्टॉफ/स्वतन्त्र गवाहो सहित दिनांक 30.07.2022 को सुबह 8.00 बजे कार्यालय मे उपस्थित रहने हेतु पाबन्द करने के निर्देश जरिये मोबाईल फोन दिये गये। समय 05.45 पीएम पर अतिरक्त पुलिस अधीक्षक मय हैड कानि0 श्री कैलाश चारण के एसीबी चौकी अजमेर के लिये रवाना होकर समय 09.45 पीएम पर एसीबी चौकी अजमेर पहुंचें। वॉयस रिकॉर्डर व मैमोरी कार्ड अलमारी मे सुरक्षित रखे गये। दिनांक 30.07.2022 समय 07.00 ए.एम. पर श्री सतनाम सिंह अतिरक्त पुलिस अधीक्षक मय श्री कैलाश चारण हैड कानि नम्बर 94, श्री रविन्द्र कानि नम्बर 348 व श्री मोहम्मद ईशाक कानि नम्बर 40, श्री किरण कुमार कनिष्ठ सहायक मय प्राईवेट वाहन मय लैपटॉप प्रिन्टर,वायॅस रिकॉर्डर/मैमोरी कार्ड के अग्रिम कार्यवाही हेतु बिलाडा के लिये रवाना होकर बिलाडा पहुंचे। परिवादी श्री महेन्द्र अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के पास उपस्थित आया तथा अवगत करवाया कि मैने मेरे स्तर पर मालूम किया तो श्री नन्द किशोर उप निरीक्षक कल रात तक थाने पर नही आया था। अब एक बार पुलिस थाना बिलाडा के अन्दर जाकर मै नन्द किशोर व नरेन्द्र की उपस्थिति के बारे मे मालूमात कर लेता हूं। परिवादी ने बताया कि नन्द किशोर थाने पर मिलते ही मेरे से रूपये मांगेगा इसलिये बातचीत मे उसे कुछ रूपये देने पडेंगें। वह मेरे से दो हजार रूपये भी ले चुका है इसलिये मै उसे दो हजार रूपये अभी दे दूंगा ताकि वो मेरे से कुछ देर बात कर सके यदि मैने उसे पैसे नही दिये तो वह मेरे से कोई बात नही करेगा। जिस पर निर्णय लिया गया कि दौराने रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता आरोपी नन्द किशोर को दो हजार रूपये परिवादी से दिलवाये जावे तथा सत्यापन वार्ता सम्पादित होने के पश्चात दौराने ट्रेप कार्यवाही उन दो हजार रूपयो को बरामद करने का प्रयास किया जावे। परिवादी ने पांच पांच सौ रूपये के चार नोट कुल दो हजार रूपये प्रस्तुत किये जिनके नम्बर 7SF 638644, 2CN 697246 , 6EQ 288263 , 8NL 574634 होकर परिवादी को पुनः सपुर्द किये गये। समय 11.15 ए.एम. पर परिवादी श्री महेन्द्र को संदिग्ध अधिकारियो की उपस्थिति की जानकारी हेतु पुलिस थाना बिलाडा के लिये रवाना किया गया। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराहीयान के गोपनीय स्थान पर मुकीम रहे। समय 11.35 ए.एम. पर परिवादी श्री महेन्द्र अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के पास उपस्थित आया तथा अवगत करवाया कि मै पुलिस थाना बिलाडा के अन्दर गया तो वंहा पर नरेन्द्र जी के पास दूसरे लोग थे तथा वह अपने काम मे व्यस्त थे। मै उनके पास गया तो उन्होने कहा कि एक घण्टे बाद तेरी दुकान पर ही आता हूं। फिर मैने नन्द किशोर जी के बारे मे मालूमात की तो उनका जोधपुर जाना तथा एक–दो घण्टे बाद थाने पर आना जानकारी में आया। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक साहब के मोबाईल पर दिये निर्देशानुसार मन् उप अधीक्षक पुलिस प्रभुलाल कुमावत मय श्री रामचन्द्र हैड कानि नम्बर 58,श्री युवराज सिंह हैड कानि नम्बर 120, श्री गोविन्द सहाय कानि नम्बर 01, श्री त्रिलोक सिंह कानि नम्बर 24 मय प्राईवेट वाहन, श्री शिव सिंह कानि नम्बर 547, श्रीमति रूचि

महिला कानि नम्बर 321,तलबशुदा स्वतन्त्र गवाहान श्री मिश्रीलाल व श्री भवंर लाल के प्राईवेट कार से मय ट्रेप बॉक्स,लैपटॉप प्रिन्टर के ट्रेप कार्यवाही हेतु रवाना हुये। समय 12.20 पीएम पर वॉयस रिकॉर्डर मय मैमोरी कार्ड के हैड कानि श्री कैलाश चारण को सुपुर्द कर श्री कैलाश चारण,श्री रविन्द्र सिंह कानि को परिवादी के साथ परिवादी की दुकान के लिये रवाना कर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय शेष हमराहीयान के गोपनीय स्थान पर मुकीम हुये। मन् उप अधीक्षक पुलिस अतिरिक्त पुलिस के निर्देशानुसार गोपनीय स्थान पर पहुंच कर मय हमराहीयान के मुकीम रहा। समय 05.45 पीएम पर श्री कैलाश चारण हैड कानि0, श्री रविन्द्र सिंह कानि व परिवादी श्री महेन्द्र अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के पास उपस्थित आये। परिवादी ने अवगत कराया कि नरेन्द्र सिंह मेरी दुकान पर नही आया मैने उनसे फोन पर बात भी की थी तो उन्होने अपने आपको व्यस्त होना बताया। मैने नन्द किशोर जी को वाट्सअप कॉल किया तो उन्होने मेरे फोन को काट दिया। मैने अपने स्तर पर मालूम किया तो जानकारी मे आया कि पुलिस थाने पर किसी मुल्जिम को लेकर आये है हो सकता है वो उसमें व्यस्त हो। अब मेरी दुकान बन्द होने का समय हो गया है इसलिये नन्द किशोर व नरेन्द्र मेरे से आज सम्पर्क करने की सम्भावना कम ही है। मै शाम के समय गांव चला जाता हूं जो यंहा से करीब 20 किलोमीटर दूर है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक साहब के मोबाईल पर दिये गये निर्देशो की पालना में मन् उप अधीक्षक पुलिस मय हमराहीयान के एसीबी चौकी अजमेर के लिये रवाना हुआ। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक साहब द्वारा श्री रविन्द्र सिंह को वॉयस रिकॉर्डर मय मैमोरी कार्ड के सुपुर्द कर कस्बा बिलाडा के आसपास ही मुकीम रहने की हिदायत जाकर परिवादी व रविन्द्र कानि को रूख्सत किया गया। समय 06.10 पीएम पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय श्री कैलाश चारण हैड कानि0 व श्री मोहम्मद ईशाक तथा श्री किरण कुमार कनिष्ठ सहायक के प्राईवेट वाहनो से अजमेर के लिये रवाना हुये। समय 07.45 पीएम पर मन् उप अधीक्षक पुलिस मय हमराहीयान के एसीबी चौकी अजमेर पर उपस्थित आया। गवाहो को रूख्सत किया गया। समय 09.20 पीएम पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराहीयान के एसीबी चौकी अजमेर पहुंचे। रास्ते मे परिवादी श्री महेन्द्र ने जरिये मोबाईल फोन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक साहब को अवगत करवाया कि " आपके पास से रवाना होकर मै व रविन्द्र जी मेरी दुकान की तरफ गये। रविन्द्र जी साईड मे खडे थे। मैने मेरी दुकान बन्द की तथा मोटर साईकिल से मेरी पत्नि व बच्चे के साथ गांव जाने के लिये रवाना हो ही रहा था कि इतने में नन्द किशोर जी अपनी कार से आये तथा मुझे हाथ के ईशारे से बुलाकर कहा कि मै तुझे बुला रहा था तब तू आया नही अब बार बार मेरे से मिलने की कोशिश कर रहा है मै तेरे हिसाब से नही मेरे हिसाब से मिलूंगा। फिर उसने रूपये मांगे तो मैने कहा कि अभी तो नही है। कल दे दूंगा। उस समय मेरे पास रिकॉर्डर नही था इसलिये मैने उसे रूपये नही दिये। फिर नन्द किशोर वंहा से सोजत रोड की तरफ चला गया। रविन्द्र जी भी दूर से देख रहे थे। नन्द किशोर के जाने के बाद रविन्द्र जी मुझे मिले तो मैने उन्हे बता दिया कि यही व्यक्ति नन्द किशोर था। इसके बाद मे मै अपनी पत्नि व बच्चे सहित मोटर साईकिल से बिलाडा से अपने गांव के लिये रवाना होकर अटपडा गांव पहुंचा तथा मेरे गांव छितरिया वाले रास्ते पर मुड ही रहा था कि वंहा नन्द किशोर मुझे वापस मिला तथा मेरे से पैसे मांगे मैने कहा कि दो हजार रूपये ही है मैने मेरी पहनी हुयी शर्ट की उपर वाली जेब से दो हजार रूपये जिनके नम्बर आपके द्वारा नोट किये थे, नन्द किशोर को दिखाये तो नन्द किशोर ने मेरे से दो हजार रूपये छिन लिये तथा कहा कि कल बीस हजार रूपये लेकर आ जाना नही तो थाने मे बन्द कर दूंगा। और कहा कि तू थाने मे नरेन्द्र से मिला है तथा उसे पैसे देकर आया है इसलिये कल ही पैसे लेकर आ जाना। परिवादी को हिदायत दी गई कि कल सुबह नन्द किशोर व नरेन्द्र सिंह से वार्ता कर वार्ता को रिकॉर्ड करें तथा मोबाईल द्वारा सूचना देवे। रास्ते मे ही जरिये मोबाईल फोन कानि0 श्री रविन्द्र से वार्ता कर आवश्यक हिदायत प्रदान की गई। दिनांक 31.07.2022 समय 10.30 ए.एम पर स्वतन्त्र गवाहो को जरिये मोबाईल फोन तलब किये जाने पर गवाह उपस्थित आये जिन्हे अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा अपना परिचय दिया जाकर गवाहो का पूरा परिचय प्राप्त किया गया। गवाहो को परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पढकर सुनाया तथा दिखाया गया। परिवादी महेन्द्र व आरोपी नरेन्द्र के मध्य हुई रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता के मुख्य मुख्य अंश गवाहो को वॉयस रिकॉर्डर चालू कर सुनाये गये। गवाहो से प्रार्थना पत्र पर हस्ताक्षर करवाये गये। समय 12.10 पीएम पर परिवादी ने जरिये वाट्स अप कॉल अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक साहब को अवगत करवाया गया कि " उसने थाने मे जाकर पहले नरेन्द्र सिंह उप निरीक्षक से मिला तो उसने ईशारो मे ही रिश्वत देने का कहा। उसके बाद में नन्द किशोर से मिला तो नन्द किशोर ने उसके पुराने दलाल/प्राईवेट व्यक्ति ओम जी से मिलने की भी कहा है। तथा हाथो के ईशारो से तीन अगुंलिया अर्थात तीस हजार रूपये का कहा फिर मैने दस हजार रूपये की कहा तो उन्होने दस बोलते हुये गर्दन हिला दी। मैने उन्हे घण्टे भर बाद आने की कहा है तो उन्होने स्वंय का ही मेरी दुकान मे आने का ईशारा किया।" समय 01.20 पीएम पर श्री सतनाम सिंह अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ,मन् उप अधीक्षक पुलिस प्रभुलाल कुमावत मय श्री कैलाश चारण हैड कानि0 नम्बर 94,श्री मोहम्मद ईशाक कानि नम्बर 40 मय प्राईवेट वाहन मय लैपटॉप प्रिन्टर , ट्रेप बॉक्स आदि के, श्री रामचन्द्र हैड कानि नम्बर 58 मय, श्री गोविन्द सहाय कानि नम्बर 01,स्वतन्त्र गवाह श्री मिश्रीलाल, श्री भवंरलाल, श्रीमती रूचि महिला

कानि नम्बर (फिनोफ्थलीन पाउडर की शीशी सहित) प्राईवेट वाहन से तथा श्री शिव सिंह कानि नम्बर 547, श्री श्योपाल कानि नम्बर 272 , श्री त्रिलोक सिंह कानि नम्बर 24 व श्री किरण कुमार कनिष्ठ सहायक के अन्य प्राईवेट वाहन से आगामी ट्रेप कार्यवाही हेतु बिलाडा के लिये रवाना होकर समय 3.25 पीएम पर बिलाडा से पहले अजमेर आने वाले रोड पर गोपनीय स्थान पर पहुंचें जंहा पर रविन्द्र कानि व परिवादी श्री महेन्द्र उपस्थित मिले। कानि. श्री रविन्द्र ने वायॅस रिकॉर्डर श्री सतनाम सिंह अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को प्रस्तुत किया। परिवादी ने बताया कि " आज रविन्द्र जी ने मुझे वायॅस रिकॉर्डर चालू करके दे दिया। मै मेरी दुकान से पुलिस थाना बिलाडा गया जंहा पर पहले नरेन्द्र जी मुझे मिले उन्होने मुझे ईशारो मे ही पैसो की कहा तथा सीआई साहब से मिलाने की कहा फिर वह किसी काम मे व्यस्त हो गये। उनके पास दूसरे लोग भी आ गये थे। उसके बाद मैने नन्द किशोर जी को वाट्स अप कॉल किया तथा उन्होने दो मिनट मे आने कहा। करीब 20 मिनट बाद नन्द किशोर जी आये तथा मेरे स मिले उन्होने मेरा मोबाईल फोन चैक किया तथा अपने पास ही रख लिया तथा मुझे दूर बैठाया तथा मेरे से तेज–तेज आवाज में बात कर रहा था,वो मुझे डरा रहा था। उसने बातचीत में ओम जी से मिलने की कहा तथा हाथ की तीन अगुंलियो से तीस हजार रूपये का कहा मैने दस हजार का कहा तो उसने दस कहते हुये गर्दन से हां भर दी थी तथा ईशारो मे स्वंय का ही मेरे पास आने का कहा। नन्द किशोर को दस हजार रूपये की रिश्वत दी जानी है।" परिवादी ने अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक साहब को बताया कि मैने मेरे स्तर पर जानकारी की तो नरेन्द्र सिंह शायद बाहर गये है तथा मेरे पास दस हजार रूपयो की ही व्यवस्था हुई है। क्योंकि मुझे व्यापार मे काफी घाटा हो गया तथा अभी मेरे पास मे इससे ज्यादा रूपयो की व्यवस्था नही है।" अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक साहब व परिवादी द्वारा निर्णय लिया गया कि आरोपी नन्द किशोर को दस हजार रूपये देकर आगामी रिश्वत राशि लेन देन करवाया जावे। समय 03.45 पीएम पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक साहब द्वारा परिवादी व गवाहो का आपस मे परिचय करवाया गया तथा की जाने वाली कार्यवाही के सम्बन्ध मे समस्त स्टॉफ को ब्रीफ किया गया। समय 03.50 पीएम पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक परिवादी श्री महेन्द्र को रूबरू गवाहान के रिश्वत राशि पेश करने की कहने पर परिवादी ने अपने पास दस हजार रूपये की व्यवस्था ही होने की कहकर आरोपी रिश्वत मे दी जाने वाली राशि 500–500 रूपये के 20 नोट कुल 10000 रूपये पेश किये, जिनका विवरण अकिंत कर नोटो पर श्रीमति रूचि उपाध्याय महिला कानि द्वारा साथ लाये फिनोफथलीन पाउडर को श्रीमति रूचि उपाध्याय महिला कानि से उक्त नोटो पर लगवाया गया तथा परिवादी श्री महेन्द्र के पहनी हुई पेन्ट की दाहिनी जेब में कुछ भी शेष नही छोडते हुए पाउडरयुक्त नोट रखवाये गये। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक साहब द्वारा परिवादी एवं स्वतन्त्र गवाहान को फिनोफथलीन पाउडर एवं सोडियम कार्बोनेट पाउडर की रासायनिक प्रकिया को दृष्टांत देकर समझाया गया। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक साहब द्वारा कार्यवाही की फर्द पेशकशी एवं दृष्टांत पृथक से तैयार कर संबन्धित के हस्ताक्षर करवाये गये। परिवादी ने बताया कि नन्द किशोर मेरी दुकान पर कभी भी आ सकता है। जिस पर वायॅस रिकॉर्डर मय मैमोरी कार्ड परिवादी को सुपुर्द किया। परिवादी ने बताया कि मुझे वायॅस रिकॉर्डर की जानकारी हो गई है नन्द किशोर जी जैसे ही आयेंगें वैसे ही मै वायॅस रिकॉर्डर को चालू कर लूंगा। समय 04.05 पीएम पर श्रीमती रूचि उपाध्याय महिला कानि0 को फिनोफ्थलीन पाउडर की शीशी सहित कस्बा बिलाडा के लिये रवाना कर निर्देशित किया गया कि ट्रेप कार्यवाही से अलग रहते हुये कस्बा बिलाडा मे उपस्थित रह कर आगामी निर्देश की पालना करें। समय 04.15 पीएम पर परिवादी श्री महेन्द्र को उसकी मोटर साईकिल से रवाना कर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराहीयान स्टॉफ के प्राईवेट वाहनो से परिवादी के पीछे पीछे रोडवेज बस स्टेण्ड बिलाडा के समीप स्थित परिवादी की दुकान के लिये रवाना होकर कस्बा बिलाडा स्थित परिवादी की कपडे की दुकान के समीप पहुंचे। परिवादी द्वारा उसकी दुकान के अन्दर प्रवेश किया गया। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा वाहनो को छुपाव हासिल करते हुये दुकान के समीप ही रोड के किनारे पर खडा करवाया गया। परिवादी की दुकान के आसपास ही अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, मन् उप अधीक्षक पुलिस व अन्य हमराहीयान मुकीम रहे। समय 06.50 पीएम पर हैड कानि0 श्री कैलाश चारण ने अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को बताया कि परिवादी की उससे बात हुई है अभी अभी थोडी देर पहले नन्द किशोर का पुत्र परिवादी की दुकान पर आया तथा उसने अपने फोन से नन्द किशोर के मोबाईल फोन पर बात करवाई तथा पूछा कि दुकान पर कब तक है मैने कहा कि आधा घण्टा हूं तो उसने कहा कि ठीक है मै आता हूं। परिवादी ने आगे बताया कि पिछले एक घण्टे मे दो तीन पुलिस कर्मी सादा वस्त्रो मे मेरी दुकान के आसपास आये थे तथा मेरी दुकान की तरफ देखकर भी गये है। जिस पर स्टॉफ के सदस्यो को सतर्क रहने की हिदायत दी गई। समय 07.20 पीएम पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक साहब द्वारा परिवादी से सम्पर्क किया गया तो परिवादी ने बताया कि हो सकता है कि नन्द किशोर कल की तरह मुझे मेरे गांव के रास्ते पर रोककर मेरे से पैसे ले सकते है। क्योंकि उन्हे पता है कि मै दुकान बन्द करके गांव की तरफ जाने वाला हूं। जिस पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक साहब द्वारा परिवादी को निर्देश दिये कि वह अपनी दुकान बन्द कर अपने गांव की तरफ रवाना हो जाये तथा आरोपी यदि रास्ते मे मिल जाये तथा रिश्वत की मांग कर रिश्वत राशि प्राप्त करले तो तुरन्त ही जरिये मोबाईल फोन ईशारा करें। अतिरिक्त

पुलिस अधीक्षक साहब द्वारा श्री रामचन्द्र हैड कानि. को प्राईवेट वाहन सहित कानि0 गोविन्द व स्वतन्त्र गवाहो सहित सोजत की तरफ करीब 20 किलोमीटर तक जाने के निर्देश दिये तथा वाहन संख्या आरजे 22 सीबी 9810 हुण्डई आई 10 कार रास्ते में कंही पर मिले तो अविलम्ब सूचना देवे। अन्य स्टॉफ के सदस्यो को निर्देश दिये गये कि जिस स्थिति मे है वैसे ही रहें तथा अग्रिम निर्देशो का इन्तजार करें। समय करीब 7.30 पीएम पर परिवादी अपनी दुकान बन्द कर अपनी पत्नि व पुत्र सहित मोटर साईकिल से अपने गांव जाने के लिये बिलाडा से सोजत सिटी की तरफ रवाना हुआ अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक और मै परिवादी के पीछे पीछे प्राईवेट वाहन से रवाना हुये सोजत रोड की तरफ कस्बा बिलाडा के बाहर की तरफ बनी होटल के थोडा सा आगे की तरफ एक वाहन आरजे 19 सीके 1415 हुण्डई क्रेटा कार बरंग सफेद नजर आयी तथा परिवादी की मोटर साईकिल के पीछे–पीछे चलती हुई नजर आयी तथा आगे जाकर रूक गई। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक साहब द्वारा परिवादी से जरिये मोबाईल फोन सम्पर्क किया गया तो बताया कि मेरे पीछे एक गाडी भावना होटल से मेरा पीछा कर रही है मै गाडी से थोडा आगे मैन रोड से साईड की तरफ जाने वाले रास्ते रूका हुआ हूं। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक साहब द्वारा परिवादी को हिदायत दी गई कि यदि गाडी मे नन्द किशोर है तो रिश्वत राशि देकर तुरन्त ही ईशारा करें। तत्पश्चात थोडी देर पश्चात ही उक्त क्रेटा कार धीरे धीरे रफ्तार से चलती हुई नजर आयी। थोडी देर बाद ही परिवादी ने वापस जरिये मोबाईल फोन बताया कि मेरे पीछे पीछे नन्द किशोर जी क्रेटा कार से मेरा पीछा कर रहे है बीच मे जिस स्थान पर मै रूका था वंहा पर एक व्यक्ति उस कार से उतर कर मेरी तरफ आ रहा था तथा उसने हाथ के ईशारे से रूपये मांगे परन्तु उस समय तक मुझे नन्द किशोर जी नही दिखे इसलिये मै वंहा से मोटर साईकिल सहित रवाना हो गया। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक साहब द्वारा परिवादी को हिदायत दी गई कि मोटर साईकिल धीरे धीरे चलाये व जैसे ही उक्त वाहन क्रोस करे या रोकने का प्रयास करे तुरन्त ही अवगत करावे। इसी दौरान स्टॉफ के अन्य सदस्यो को आवश्यक हिदायत दी गई। थोडी देर बाद उक्त वाहन पुनः बिलाडा की तरफ घूम गया तथा तेज रफ्तार से कस्बा की तरफ चला गया। परिवादी से सम्पर्क किया तो बताया कि नन्द किशोर जी वाहन मे मेरा पीछा कर रहे थे परन्तु अब उन्होने अपनी गाडी वापस बिलाडा की तरफ मोड ली है। गांव अटपडा के पास मे परिवादी से रूबरू सम्पर्क किया गया। परिवादी ने अवगत करवाया कि शायद नन्द किशोर को शक हो गया है इसलिये उसने मेरा पीछा करने के बाद भी मेरे से पैसे नही लिये। अब वह कल मेरे से रिश्वत लेने का प्रयास करेगा। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक साहब द्वारा मोबाईल पर दिये गये निर्देशो की पालना में समस्त स्टॉफ मय प्राईवेट वाहनो के उपस्थित आया। महिला कानि0 रूचि भी स्टॉफ सहित उपस्थित आयी। परिवादी से रिश्वत राशि महिला कानि0 श्रीमती रूचि से निकलवायी जाकर कागज के लिफाफे मे सुरक्षित रखी गई। परिवादी को हिदायत दी गई कि आगामी कार्यवाही कल सुबह की जायेगी। नन्द किशोर या अन्य द्वारा रिश्वत राशि के सम्बन्ध मे सम्पर्क किया जावे तो अलिवम्ब अवगत करवाया जावे। परिवादी को रूख्सत कर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराहीयान के प्राईवेट वाहनो से सोजत सिटी के लिये रवाना होकर सोजत सिटी पहुंचा, रिश्वत राशि, वायॅस रिकॉर्डर,लैपटॉप प्रिन्टर, ट्रेप बॉक्स आदि सुरक्षित रखे गये। हम सभी स्टाफ सहित रात्रि मुकीम सोजत सिटी जिला पाली मे ही रहे। दिनांक 01.08.2022 समय 08.30 ए.एम. पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराहीयान के प्राईवेट वाहनो से परिवादी से सम्पर्क कर आगामी कार्यवाही हेतु बिलाडा की तरफ रवाना होकर गांव अटपडा से कुछ आगे बिलाडा की तरफ पहुंचे। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक साहब द्वारा परिवादी से सम्पर्क किया गया। परिवादी अपनी मोटर साईकिल से अपनी पत्नि व पुत्र सहित उपस्थित आया। समय 09.15 ए.एम. परिवादी की तलाशी गवाह श्री भवंर लाल से लिवाई जाकर कोई आपत्तिजनक वस्तु नही पाये जाने पर रिश्वत राशि दस हजार रूपये महिला कानि0 श्रीमती रूचि से परिवादी की पहनी हुई पेन्ट की दाहिनी जेब मे रखवाई गई। वायॅस रिकॉर्डर परिवादी को सुपुर्द किया गया। परिवादी ने बताया कि नन्द किशोर जी कभी भी मेरी दुकान पर आ सकते है या किसी को भेज सकते है। जिस पर परिवादी को हिदायत दी गई कि नन्द किशोर के आने पर अविलम्ब ही वायॅस रिकॉर्डर को चालू करले तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को अविलम्ब सूचित करें। समय 09.40 ए.एम.पर परिवादी को उसकी मोटर साईकिल से रवाना कर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराहीयान के प्राईवेट वाहनो से कस्बा बिलाडा के लिये रवाना होकर कस्बा बिलाडा स्थित परिवादी की दुकान के पास पहुंचे। प्राईवेट वाहनो को परिवादी की दुकान से थोडा दूरी पर खडा करवाया गया। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय स्टॉफ व गवाहो के परिवादी की दुकान के आसपास ही मुकीम रहे। समय 10.10 ए.एम. पर हुण्डई कार आई 10 नम्बर आरजे 22 सीबी 9810 परिवादी की दुकान के पास से बहुत ही धीमी रफ्तार से गुजरी जिसमें दो लोग बैठे हुये नजर आये। कुछ ही देर बाद श्री कैलाश चारण हैड कानि ने बताया कि "मेरी परिवादी से बात हुई है तो उसने बताया कि अभी अभी जो वाहन परिवादी की दुकान के पास से गुजरा है उसमें नन्द किशोर के दोनो बेटे बैठे हुये थे तथा मेरी तरफ देखते हुये जा रहे थे। स्टॉफ के सभी सदस्यो को अलर्ट रहने का ईशारा किया गया। उक्त वाहन पुनः थोडी देर मे परिवादी की दुकान के पास से गुजर कर बस स्टेण्ड की तरफ जाता हुआ नजर आया। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा श्री रामचन्द्र हैड कानि को निर्देश

दिये कि उक्त वाहन का पीछा किया जाकर नजर रखी जावे। समय 11.55 ए.एम. पर आरोपी नन्द किशोर द्वारा परिवादी से कोई सम्पर्क नही किया गया जिस पर परिवादी को निर्देश दिये गये कि अजमेर रोड की तरफ आकर एक बार सम्पर्क करें । अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक , मन् उप अधीक्षक पुलिस व श्री कैलाश चारण हैड कानि अजमेर रोड की तरफ गोपनीय स्थान पर पहुंचे तथा परिवादी भी उपस्थित आया। परिवादी ने बताया कि दुकान खोलते ही नन्दकिशोर के दोनो बेटे अपनी कार से मेरी दुकान के पास से गुजरे तथा तीन चार पुलिस वाले भी मेरी दुकान के चारो तरफ नजर फैरकर निकले है। नन्द किशोर का मोबाईल फोन कल शाम को भी स्वीच ऑफ आ रहा था आज भी स्वीच ऑफ आ रहा है। मै ही जाकर नन्द किशोर से थाने मे सम्पर्क कर उसे रिश्वत राशि दे देता हूं। इसी दौरान श्री रामचन्द्र हैड कानि0 ने जरिये मोबाईल फोन अवगत करवाया गया कि हुण्डई कार आई 10 नम्बर आरजे 22 सीबी 9810 पुलिस थाना बिलाडा के अन्दर की तरफ गई है। समय 12.55 पीएम पर परिवादी को आरोपी श्री नन्द किशोर से सम्पर्क करने हेतु पुलिस थाना बिलाडा के लिये रवाना किया। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, मन् उप अधीक्षयक पुलिस व हैड कानि श्री कैलाश चारण के परिवादी के पीछे पीछे रवाना हुआ। समय 01.20 पीएम पर परिवादी गोपनीय स्थान पर उपस्थित आया तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक साहब को अवगत करवाया कि मै पुलिस थाना बिलाडा गया जंहा पर सन्तरी ड्यूटी वाले सिपाही ने मेरी फोटो खीची तथा मुझे थाने के अन्दर नही जाने दिया नन्द किशोर के बारे मे पूछने पर कहा कि मोबाईल पर सम्पर्क कर लो। थाने से रवाना होकर मै आपके पास आ रहा था रास्ते मे मुझे अजमेर की तरफ से आने वाली रोड पर नन्द किशोर जी कल रात वाले वाहन मे ही नजर आये वो तेज गति से वाहन को चला रहे थे। अब वह बिलाडा कस्बे के अन्दर गये है। समय 01.30 पीएम पर परिवादी को उसकी दुकान की तरफ रवाना कर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक , मन् उप अधीक्षक पुलिस व श्री कैलाश चारण हैड कानि परिवादी की दुकान की तरफ रवाना परिवादी की दुकान के पास आकर मुकीम रहे। समय 01.45 पीएम पर परिवादी ने जरिये मोबाईल फोन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक साहब को अवगत करवाया कि आपके पास से जब मै मेरी दुकान की तरफ आ रहा था तब मुझे रास्ते मे थाने का सिपाही मिला उसने मुझे कहा कि तूने नन्द किशोर की शिकायत की है क्या? कल शाम को नन्द किशोर ही तेरे पीछे पीछे आ रहे थे वो बरना की तरफ गये थे। परिवादी को हिदायत दी गई कि सोजत रोड की तरफ बने सरकारी अस्पताल के पास उपस्थित आवे। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ,मन् उप अधीक्षक पुलिस व श्री कैलाश चारण हैड कानि प्राईवेट वाहन से सरकारी अस्पताल बिलाडा से आगे पहुंचे। परिवादी भी उपस्थित आया जिसे वाहन मे बैठाया गया परिवादी ने अवगत करवाया कि मेरे मिलने वाला सिपाही है वो अभी बस स्टेण्ड के पास मिला उसने कहा कि तूने एसीबी मे नन्द किशोर की शिकायत की है क्या? मैने कहा नही और मैने उससे कहा कि कल रात को मेरे पीछे कुछ लोग पड गये जिस पर उसने कहा कि वो तो नन्द किशोर जी ही थे वो कल बरना गांव गये थे। परिवादी ने आगे बताया कि अभी थोडी देर पहले जब मै आपके पास था तब नन्द किशोर के बेटे उसकी कार से मेरी दुकान के पास से आये तथा मेरी पत्नि की तरफ देखकर गये। मै जब दुकान गया तब मेरी पत्नि ने मुझे यह बात बताई। इसी दौरान वाहन संख्या आरजे 19 सीके 1415 केटा कार सामने से आती हुई नजर आयी परिवादी ने उसे देखकर बताया कि इसे अभी नन्द किशोर जी ही चला रहे है तथा यही गाडी थोडी देर पहले मुझे अजमेर रोड की तरफ से आती हुई नजर भी आयी जिसमें नन्द किशोर जी ही अकेले थे। समय 02.20 पीएम पर परिवादी को उसकी मोटर साईकिल से परिवादी की दुकान की तरफ रवाना कर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक , मन् उप अधीक्षक पुलिस व श्री कैलाश चारण हैड कानि परिवादी के पीछे पीछे रवाना होकर परिवादी की दुकान के पास पहुंचे तथा उपस्थिति छिपाते हुये मुकीम हुये।। प्राईवेट वाहन साईड मे खडा किया गया। समय 02.40 पीएम पर वाहन संख्या आरजे वाहन संख्या आरजे 19 सीके 1415 केटा कार बस स्टेण्ड बिलाडा से आती हुई नजर आयी जो कि परिवादी की दुकान को क्रोस कर सोजत रोड की तरफ जाती हुई नजर आयी। समय 02.50 पीएम पर परिवादी से सम्पर्क किया जाकर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक साहब द्वारा रिश्वत राशि 10,000 रूपये व वॉयस रिकॉर्डर प्राप्त कर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक , मन् उप अधीक्षक पुलिस व कानि श्री कैलाश चारण के एसीबी चौकी अजमेर के लिये रवाना हुये। स्टॉफ के सदस्यो से जरिये मोबाईल सम्पर्क कर चौकी एसीबी अजमेर पर पहुंचने की हिदायत दी गई। समय 05.50 पीएम पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ,मन् उप अधीक्षक पुलिस व श्री कैलाश चारण हैड कानि नम्बर 94 मय वायॅस रिकॉर्डर, रिश्वत राशि, लैपटॉप प्रिन्टर आदि के कार्यालय उपस्थित आये। वायॅस रिकॉर्डर व रिश्वत राशि अलमारी मे सुरक्षित रखी गई। अन्य स्टॉफ व गवाहान पूर्व मे ही एसीबी चौकी अजमेर पर उपस्थित आये गये थे। दिनांक 02.08.2022 समय 06.15 पीएम पर परिवादी ने जरिये मोबाईल फोन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक साहब को बताया कि अभी थोडी देर पहले नन्द किशोर जी मेरी दुकान के पास से गुजरे है, वो दुकान की तरफ देखते हुये गये मै दुकान के बाहर की तरफ गया तब तक नन्द किशोर जी वंहा से जा चुके थे। इसलिये उनसे कोई बात नही हो पायी। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक साहब ने परिवादी को हिदायत दी गई कि जैसे ही नन्द किशोर उप निरीक्षक से सम्पर्क हो तो अविलम्ब जरिये मोबाईल फोन सूचना देवे। दिनांक 03.08.2022 समय 10.25 ए.एम. पर परिवादी ने

जरिये मोबाईल फोन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक साहब को बताया कि "मै अभी मेरी दुकान पर आया तथा दुकान खोलने लगा तब आसपास के दुकान वालो ने बताया कि अभी अभी नन्द किशोर उप निरीक्षक दुकान पर आया तथा मेरे बारे मे पूछ रहा था। वह अपने हिसाब से कभी भी मेरे पास वापस सम्पर्क कर सकता है।" इस पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक साहब ने परिवादी को अवगत करवाया गया कि कानिस्टेबल श्री रविन्द्र को वायॅस रिकॉर्डर सहित भिजवाया जा रहा है तथा नन्द किशोर या अन्य किसी भी पुलिस कर्मी के सम्पर्क करने पर होने वाली वार्ता को वायॅस रिकॉर्डर मे रिकॉर्ड करे। समय 10.35 ए.एम. पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा श्री रविन्द्र सिंह कानिस्टेबल को कक्ष मे तलब कर वायॅस रिकॉर्डर मय नये मैमोरी कार्ड के सुपुर्द कर परिवादी श्री महेन्द्र से सम्पर्क कर बिलाडा जाने तथा आरोपी नन्द किशोर व अन्य से होने वाली वार्ता को वायॅस रिकॉर्डर मे रिकॉर्ड करें तथा अग्रिम निर्देशो तक कस्बा बिलाडा/बिलाडा के आसपास के क्षैत्र मे अपनी उपस्थिति छिपाते हुये मुकीम रहे। समय 11.05 ए.एम. पर बाद आवश्यक हिदायत के श्री रविन्द्र सिंह कानिस्टेबल को बिलाडा जिला जोधपुर के लिये रवाना किया गया। समय 07.00 पीएम पर परिवादी श्री महेन्द्र ने जरिये मोबाईल फोन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक साहब को अवगत करवाया गया कि श्री रविन्द्र जी मेरे पास आ गये है तथा उनके पहुंचने से थोडी देर पहले ही नन्द किशोर मेरी दुकान पर आये थे। उस समय पर मै कंही गया हुआ था मेरी पत्नि ने आकर मुझे बताया कि नन्द किशोर जी आये थे। मैने उन्हे वाट्स अप कॉल किया तो उसने मेरा फोन रिसीव ही नही किया। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक साहब ने परिवादी को हिदायत दी गई कि नन्द किशोर से सम्पर्क होने पर बातचीत करे तथा रविन्द्र से समन्वय स्थापित रखते हुये पर वायॅस रिकॉर्डर प्राप्त कर वार्ता को रिकॉर्ड करें। दिनांक 04.08.2022 समय 08.30 पीएम पर श्री रविन्द्र सिंह कानि0 ने जरिये मोबाईल फोन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक साहब को बताया कि "अभी–अभी परिवादी ने बताया कि वह जब अपनी मोटर साईकिल से गांव जा रहा था तथा तब बिलाडा की तरफ से चार जने आये तथा उसके साथ में मारपीट की है तथा अभी परिवादी का मोबाईल भी बन्द आ रहा है। समय 09.35 पीएम पर परिवादी ने जरिये मोबाईल फोन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक साहब को बताया कि आज शाम को मै जब दुकान बन्द कर रहा था उस समय पर सिपाही लखपत वंहा पास मे ही स्टेशनरी की दुकान पर आया था तथा उसने मुझे ईशारे से अपने पास बुलाकर बात की। उसके बाद वो लोग सोजत वाली रोड पर चले गये। दुकान बन्द कर मै अपने गांव के लिये मोटर साईकिल से रवाना हुआ तो मुझे सरकारी अस्पताल के पास में रामखिलाडी सिपाही मिला उसके साथ मे एक जना और था उसने मुझे आवाज देकर रोका तथा अस्पताल के अन्दर ले जाकर पूछा कि तूने नन्द किशोर और नरेन्द्र सिंह की शिकायत की है क्या तो मैने मना किया। उन्होने कहा कि थाने मे तो हमने सुना है कि नन्द किशोर को तूने दो लाख सत्तर हजार रूपये दिये है तो मैने कहा कि मैने तो नरेन्द्र जी और नन्द किशोर जी को पचास पचास हजार रूपये दिये है। वंहा से इस प्रकार की बातचीत कर मै वंहा से रवाना होकर होटल भावना के आसपास पहुंचा जंहा पर मुझे रविन्द्र जी मिले मैने उन्हे वायॅस रिकॉर्डर दे दिया। फिर मै वंहा से रवाना होकर अपने गांव जा रहा था कि अटपडा गांव के थोडा पहले चार जने दो मोटर साईकिल स्पलेण्डर पर बिलाडा की तरफ से आये तथा मेरे आगे मोटर साईकिल लगा कर मुझे रोका तथा मेरे साथ मे मारपीट की तथा वो कह रहे थे कि तेरी इतनी हिम्मत हो गई कि पुलिस वालो को ही फंसा रहा है। पीछे से आने वाली गाडियों को देखकर फिर वो लोग वंहा से भाग गये। मेरा मोबाईल भी नीचे गिर गया तथा बन्द हो गया था। मेरी मोटर साईकिल को भी नुकसान पहुंचा है। मै मेरा इलाज करा कर घर आया। मेरे पेट,पीठ व पैर मे दर्द हो रहा है। इसलिये मै आपसे कल सुबह बात करूंगा। दिनांक 05.08.2022 समय 10.00 ए.एम. पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक साहब द्वारा परिवादी से सम्पर्क किया गया तो परिवादी ने बताया कि मेरे साथ हुई मारपीट की घटना के सम्बन्ध में मै पुलिस थाना बिलाडा जाकर अपनी शिकायत दूंगा। क्योंकि मै मेरे गांव से रोज आना जाना करता हूं तथा मेरे साथ मे इस प्रकार की घटना कभी भी हो सकती है। परिवादी ने आगे बताया कि मेरे साथ हुई इस घटना मे निश्चित रूप से ही नन्द किशोर का ही हाथ है बाकी मेरी किसी से कोई दुश्मनी नही है तथा मारपीट करने वाले भी यही कह रहे थे कि तेरी इतनी हिम्मत हो गई कि तू पुलिस वालो की शिकायत करने लग गया है। इसलिये पहले मै पुलिस थाने मे रिपोर्ट दर्ज कराउंगा जिससे मेरे साथ आगे इस प्रकार की घटना नही हो पाये। समय 05.40 पीएम पर परिवादी ने जरिये मोबाईल फोन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक साहब को बताया कि मेरे साथ हुई मारपीट की रिपोर्ट लेकर थाने पर गया परन्तु थाने वालो ने पहले मेरी रिपोर्ट ही नही ली तथा कहा कि साहब अभी थाने से बाहर गये है जब आयेगें तब आना। उसके बाद मैने दो तीन चक्कर थाने के और काटे तो थाने के सन्तरी ने मेरी रिपोर्ट ले ली तथा कहा कि शाम को आ जाना। मै अभी थोडी देर पहले थाने पर वापस गया तो मुझे रामखिलाडी मिला तो उसने मुझे कहा कि तूने मेरा नाम ही रिपोर्ट मे लिख दिया तो मैने कहा कि जैसा घटनाक्रम हुआ वैसा ही मैने लिखा है वह मेरे से कह रहा था कि मेरा नाम रिपोर्ट में से हटा दे तो मैने कहा कि मैने आपका नाम मारपीट करने वालो मे नही लिखवाया मैने तो यह लिखा है कि आप मुझे मिले थे। फिर उन्होने कहा कि ठीक है सुबह आ जाना और मै वंहा से रवाना हो गया। दिनांक 06.08.2022 समय 11.45 ए.एम. पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने जरिये मोबाईल फोन रविन्द्र से

सम्पर्क किया गया तो रविन्द्र कानि ने बताया कि अभी तक परिवादी से ना तो नन्द किशोर और नाही नरेन्द्र सिंह ने रिश्वत राशि सम्बन्धित वार्तालाप के लिये कोई सम्पर्क किया गया है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा रविन्द्र को हिदायत दी गई कि परिवादी को आवश्यक हिदायत देकर एसीबी कार्यालय अजमेर पर उपस्थित आवे। समय 3.50 पीएम पर श्री रविन्द्र कानि कार्यालय मे उपस्थित आया। समय 06.45 पीएम पर परिवादी ने जरिये मोबाईल फोन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक साहब को बताया कि मै आज सुबह थाने पर गया तो मुझे थाने वालो ने बताया कि आपकी रिपोर्ट तो रामखिलाडी के पास ही है जो आज जोधपुर गया हुआ है फिर उन्होने मेरी रामखिलाडी से मोबाईल पर बात भी कराई तो रामखिलाडी ने कहा कि मै शाम को आउंगा तब आप आ जाना। मै अभी शाम को 6 बजे के करीब थाने पर गया तो रामखिलाडी जी मुझे मिले तथा कहा कि आपकी रिपोर्ट दर्ज हो गई है अभी तो अस्तपाल बन्द हो गया है कल सुबह आना आपके जो चोट लगी है उनका मेडिकल होगा। दिनांक 16.08.2022 समय 11.35 ए.एम. पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक साहब द्वारा परिवादी से जरिये मोबाईल फोन सम्पर्क किया गया तो परिवादी ने बताया कि पिछले दिनो में त्यौहार का सीजन होने के कारण मै बहुत ज्यादा व्यस्त था इसलिये आपसे सम्पर्क नही किया था। परिवादी ने आगे बताया कि अभी एक दो दिन पहले नन्द किशोर जी के मिलने वाले पत्रकार श्री ओम जी मेरी दुकान के पास से निकले तथा मुझे कहा कि नन्द किशोर ने तेरे से मिलने तथा खर्चा पानी लेने का कहा है तो मैने कहा कि अभी एक दो दिन मेरे पास पैसो की व्यवस्था नही है तो उसने कहा कि जैसे ही व्यवस्था हो जावे तो मेरे से बात कर लेना । अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक साहब द्वारा परिवादी को समझाईश की गई अगली बार जैसे ही ओम पत्रकार या नन्द किशोर से कोई वार्ता हो तो तुरन्त ही अवगत करावे। परिवादी ने बताया कि मै एक दो दिन में ओम जी बात करूंगा। जिस पर परिवादी को हिदायत दी गई कि ओम जी से बात कर अतिरिक्त पुलिस को जरिये मोबाईल फोन सूचना देवे। दिनांक 19.08.2022 समय 10.30 ए.एम. पर परिवादी ने जरिये वाट्सएप कॉल के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को बताया कि अभी अभी उसकी ओमजी पत्रकार से बात हुई है तो उसने कहा कि मेरे पास नन्द किशोर जी का फोन आया तथा वो मुझसे नाराजगी से बात कर रहा था। आज वो बाडमेर की तरफ गया हुआ है तथा कल उसने मिलने का कहा है। दिनांक 19.08.2022 को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा कार्यालय मे तलब किये जाने पर पर मन् उप अधीक्षक पुलिस कार्यालय कक्ष में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री सतनाम सिंह से मिला। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक साहब द्वारा मुझे आगामी ट्रेप कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया जाकर परिवादी द्वारा प्रस्तुत शुदा प्रार्थना पत्र व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के पास सुरक्षित रखे हुये रिश्वत मांग सत्यापन वार्ताओ के मैमोरी कार्डस, रिश्वत राशि आदि सुपुर्द किये गये तथा आगामी कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया। मन् उप अधीक्षक पुलिस द्वारा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा सुपुर्द शुदा परिवादी श्री महेन्द्र द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व रनिंग नोट का अवलोकन किया गया तथा रिश्वत मांग सत्यापन वार्ताओ के मैमोरी कार्डस को वायॅस रिकॉर्डर मे डाला जाकर उसमे दर्ज वार्ताओं को सुना गया। समय 06.00 पीएम पर परिवादी श्री महेन्द्र से जरिये वाट्सएप कॉल सम्पर्क किया गया तो परिवादी ने अवगत करवाया गया कि ओम जी करीब 11 बजे के बाद ही अपने घर से निकलता है। इसलिये कल 11 बजे के आसपास आप बिलाडा आ जाओ। कल ही ओम जी से बात करके रिश्वत राशि का आदान प्रदान हो सकता है। जिस पर परिवादी को हिदायत दी गई कि कल सुबह 11 बजे बिलाडा मे ही मौजूद रहे। स्टॉफ के सदस्यो तथा स्वतन्त्र गवाहो को दिनांक 20.08.2022 को समय 07.00 ए.एम. पर कार्यालय मे उपस्थित होने हेतु जरिये मोबाईल फोन पाबन्द किया गया। दिनांक 20.08.2022 समय 08.30 ए.एम. पर एसीबी स्टॉफ व स्वतन्त्र गवाहो के कार्यालय मे उपस्थित आने पर रिश्वत राशि का लिफाफा,वायॅस रिकॉर्डर, रिश्वत मांग सत्यापन वार्ताओ के मैमोरी कार्डस, नये मैमोरी कार्डस,लैप टॉप प्रिन्टर,ट्रेप बॉक्स आदि के मन् उप अधीक्षक पुलिस प्रभुलाल कुमावत,श्री रामचन्द्र हैड कानि नम्बर 58,श्री युवराज सिंह हैड कानि0,120,श्री कैलाश चारण हैड कानि नम्बर 94,श्री गोविन्द सहाय कानि नम्बर 01 प्राईवेट वाहन से, अन्य प्राईवेट वाहन से श्री रविन्द्र सिंह कानि नम्बर 308,श्रीमती रूचि उपाध्याय महिला कानि नम्बर 321 , स्वतन्त्र गवाह श्री मिश्री लाल व श्री भवंर लाल के वास्ते ट्रेप कार्यवाही बिलाडा जिला जोधपुर के लिये रवाना हुआ। समय 11.40 ए.एम. पर मन् उप अधीक्षक पुलिस मय हमराहीयान के कस्बा बिलाडा पहुंचा। परिवादी से जरिये वाट्सएप कॉल सम्पर्क कर गोपनीय स्थान पर उपस्थित आने हेतु अवगत करवाया गया। समय 11.55 ए.एम. पर परिवादी गोपनीय स्थान पर मन् उप अधीक्षक पुलिस के पास उपस्थित आया तथा अवगत करवाया कि ओम जी पत्रकार अभी अपने घर पर ही मिल सकता है इसलिये मै अभी उसके घर पर जाकर उससे बातचीत करूंगा। परिवादी को वायॅस रिकॉर्डर मय मैमोरी कार्ड के सुपुर्द कर रवाना किया गया तथा ओम जी मिलने पहले वायॅस रिकॉर्डर चालू करने की हिदायत दी गई। परिवादी ने बताया कि यदि ओम जी उनके घर पर मिले तो मै आपको जरिये मोबाईल फोन सूचना दे दूंगा आप मेरे बताये अनुसार आ जाना। ओम जी का घर पास मे ही है। मन् उप अधीक्षक पुलिस मय हमराहीयान के गोपनीय स्थान पर मुकीम रहा। दिनांक 20.08.2022 समय 02.00 पीएम पर परिवादी मन् उप अधीक्षक के पास गोपनीय स्थान पर आया तथा अवगत करवाया कि आपके पास से रवाना होकर तहसील के पास पहुंच मैने ओमजी से उनके मोबाईल

फोन पर बात की तो उन्होने स्वंय का मेरी दुकान पर जाना तथा थोडी देर मे वापस आने की कहा मै मेरी दुकान पर पहुंचा तो थोडी देर मे ही ओम जी मेरी दुकान पर आ गये तथा मेरे पास वाली दुकान पर बैठ गया थोडी देर बाद मेरी दुकान पर आया तथा मुझसे कह कर गया कि अभी नन्द किशोर जी कंही बाहर है मै कहूं जब आ जाना। मैने उनसे बातचीत से पहले वॉयस रिकॉर्डर चालू कर लिया था। अब मै शाम के समय उनसे मोबाईल पर बात करूंगा। परिवादी को बाद हिदायत रवाना किया गया। समय 06.00 पीएम पर परिवादी ने जरिये वाट्सएप कॉल अवगत करवाया कि अभी थोडी देर पहले मेरी ओमजी से बात हुई तो उसने कहा कि मै नन्द किशोर से बात करके वापस बात करता हूं परन्तु उसका वापस फोन नही आया। जिस पर परिवादी को हिदायत दी गई कि अभी ओमजी के फोन आने का इन्तजार करे तथा जैसे ही वार्ता हो तुरन्त ही मन् उप अधीक्षक पुलिस को अवगत करावे। समय 07.00 पीएम पर परिवादी ने जरिये वाट्सएप कॉल अवगत करवाया कि अभी तक ओमजी का मेरे मोबाईल पर कोई फोन नही आया है तथा अब मेरी दुकान बन्द करने का समय हो गया है इसलिये अब ओमजी से कल ही सम्पर्क हो सकता है। जिस पर मन् उप अधीक्षक पुलिस मय हमराहीयान के रात्रि मुकीम हेतु कस्बा बिलाडा के आसपास ही गोपनीय स्थान के लिये रवाना गोपनीय स्थान पर पहुंचा तथा रात्रि मुकीम हुआ तथा वायॅस रिकॉर्डर,रिश्वत राशि, ट्रेप बॉक्स,लैपटॉप प्रिन्टर आदि सुरक्षित रखे गये। दिनांक 21.08.2022 समय 9.30 ए.एम. पर परिवादी से जरिये वाट्सएप कॉल सम्पर्क किया गया तो परिवादी ने बताया कि अभी तक ओमजी का मेरे पास फोन नही आया है। मै अभी थोडी देर मे ही दुकान खोलूंगा। ओमजी अक्सर 11 बजे के बाहर ही अपने घर से निकलता है। जिस पर परिवादी को हिदायत दी गई कि यदि ओमजी का फोन आयें तुरन्त सुचित करे। मन् उप अधीक्षक पुलिस मय हमराहीयान के कस्बा बिलाडा मे गोपनीय स्थान के लिये वायॅस रिकॉर्डर,रिश्वत राशि, ट्रेप बॉक्स,लैपटॉप प्रिन्टर आदि के प्राईवेट वाहनो से रवाना होकर परिवादी की दुकान के आसपास ही गोपनीय स्थान पर मुकीम हुआ। समय 01.00 पीएम. पर परिवादी ने जरिये वाट्सएप कॉल अवगत करवाया कि मैने अपने स्तर पर मालूम कराया तो पता चला है कि ओमजी आज जोधुपर की तरफ गये हुये है तथा आज उनके वापस बिलाडा आने की सम्भावना नही है। आज कोई कार्यवाही नही हो सकती है। परिवादी को अवगत करवाया गया कि उसके व आरोपियो के मध्य हुई वार्ता की ट्रासंकिप्ट बनाई जानी है जिस पर परिवादी ने बताया कि अभी मेरी दुकान पर कोई नही है तथा पत्नि भी पीहर गई हुई है इसलिये बाद मे यह कार्यवाही की जा सकती है। परिवादी को आवश्यक हिदायत दी गई। समय 01.30 पीएम. मन् उप अधीक्षक पुलिस प्रभुलाल कुमावत,श्री रामचन्द्र हैड कानि नम्बर 58,श्री युवराज सिंह हैड कानि0,120,श्री कैलाश चारण हैड कानि नम्बर 94,श्री गोविन्द सहाय कानि नम्बर 01 मय रिश्वत राशि का लिफाफा,वायॅस रिकॉर्डर, रिश्वत मांग सत्यापन वार्ताओ के मैमोरी कार्डस, नये मैमोरी कार्डस,लैप टॉप प्रिन्टर,ट्रेप बॉक्स आदि के प्राईवेट वाहन से , अन्य प्राईवेट वाहन से श्री रविन्द्र सिंह कानि नम्बर 308,श्रीमती रूचि उपाध्याय महिला कानि नम्बर 321 , स्वतन्त्र गवाह श्री मिश्री लाल व श्री भवंर लाल एसीबी चौकी अजमेर के लिये रवाना होकर समय 06.00 पीएम. मन् उप अधीक्षक पुलिस प्रभुलाल कुमावत, श्री रामचन्द्र हैड कानि नम्बर 58,श्री युवराज सिंह हैड कानि0,120,श्री कैलाश चारण हैड कानि नम्बर 94,श्री गोविन्द सहाय कानि नम्बर 01 मय रिश्वत राशि का लिफाफा,वायॅस रिकॉर्डर, रिश्वत मांग सत्यापन वार्ताओ के मैमोरी कार्डस, नये मैमोरी कार्डस,लैप टॉप प्रिन्टर,ट्रेप बॉक्स आदि के प्राईवेट वाहन से , अन्य प्राईवेट वाहन से श्री रविन्द्र सिंह कानि नम्बर 308,श्रीमती रूचि उपाध्याय महिला कानि नम्बर 321 , स्वतन्त्र गवाह श्री मिश्री लाल व श्री भवंर लाल एसीबी चौकी अजमेर पहुंचा। गवाहो को रूख्सत किया गया। रिश्वत राशि का लिफाफा,वायॅस रिकॉर्डर, मैमोरी कार्ड्स अलमारी मे सुरक्षित रखे गये। दिनांक 26.08.2022 समय 11.50 ए.एम. पीएम पर परिवादी ने जरिये वाट्सएप कॉल बताया कि अभी ओमजी उनके निजी काम से पूना गये हुये है तथा बाद मे बात करने का कहा है। इसलिये जब ओम जी पूना से आयेंगे तभी आगे कोई बातचीत हो पायेगी। परिवादी को हिदायत दी गई कि जैसे ही इस मामले मे किसी से कोई बात हो तो अविलम्ब अवगत करावे। दिनांक 09.09.2022 समय 03.50 पीएम पर परिवादी से जरिये वाट्सएप कॉल सम्पर्क किया गया तो परिवादी ने बताया कि ओमजी पूना से आ गये है मै उनसे मिला तो उन्होने कहा कि एक दो दिन मे बात करके तेरे वाले मामले को निपटाते है। जिस पर परिवादी को हिदायत दी गई कि आईन्दा ओमजी पत्रकार से वार्ता करने से पहले मन् उप अधीक्षक पुलिस को अवगत करावे। दिनांक 16.09.2022 समय 10.15 ए.एम पर परिवादी से जरिये वाट्सएप कॉल सम्पर्क किया गया तो परिवादी ने बताया कि मुझे कल नन्द किशोर जी थानेदार जी मिले थे उन्होने कहा कि तेरा मेरे से कोई लेना देना नही है तथा ओम पत्रकार से भी कोई बात मत करना तू तेरे रास्ते मै मेरे रास्ते ऐसा कहकर वह अपनी कार से रवाना हो गया। परिवादी ने आगे बताया कि अब नन्द किशोर व ओमजी के विरूद्व रिश्वत लेते हुये पकडने की कार्यवाही नही हो सकती है जिस पर परिवादी को एसीबी कार्यालय अजमेर आने की हिदायत दी गई। परिवादी ने अवगत करवाया कि वह एक दो दिन बाद एसीबी कार्यालय अजमेर आ जायेगा। दिनांक 21.09.2022 समय 11.45 ए.एम पर परिवादी से जरिये वाट्सएप कॉल सम्पर्क किया गया तो परिवादी ने बताया कि वह अभी अपनी पत्नि को लेने ससुराल आया हुआ है पांच सात दिन बाद अपने घर आयेगा। परिवादी को

हिदायत दी गई कि जैसे ही वापस आये तुरन्त मन् उप अधीक्षक पुलिस को जरिये मोबाईल फोन अवगत करावे। दिनांक 06.10.2022 समय 10.10 ए.एम पर परिवादी से जरिये मोबाईल फोन सम्पर्क करने का प्रयास किया गया परन्तु परिवादी द्वारा फोन रिसीव नही किया। दिनांक 14.10.2022 समय 02.15 पी.एम पर परिवादी से जरिये वाट्सएप कॉल सम्पर्क किया गया तो परिवादी ने बताया कि अभी त्यौहार का सीजन होने के कारण वह अपने कार्य मे अत्यधिक व्यस्त है इसलिये पिछली बार फोन भी नही उठाया था। परिवादी ने बताया कि वह दिपावली के बाद ही आगामी कार्यवाही हेतु उपलब्ध हो सकता है। परिवादी को आवश्यक समझाईश की गई कि वह चाहे तो मन् उप अधीक्षक पुलिस बिलाडा उपस्थित हो जावे जिस पर परिवादी ने बताया कि अभी त्यौहार का सीजन है इसलिये वह बिलकुल भी समय नही दे पायेगा। जिस पर परिवादी को हिदायत दी गई परिवादी ने बताया कि वह दिपावली के बाद अजमेर उपस्थित आ जायेगा। दिनांक 27.10.2022 समय 11.35 ए.एम पर परिवादी से जरिये वाट्सएप कॉल सम्पर्क किया गया तो परिवादी ने बताया कि मै दिनांक 31.10.2022 को आपके कार्यालय मे उपस्थित हो जाउंगा। परिवादी को आवश्यक हिदायत दी गई। दिनांक 31.10.2022 समय 07.10 ए.एम पर परिवादी ने जरिये वाट्सएप कॉल कर बताया कि वह बिलाडा से रवाना हो रहा है, जिस पर स्वतन्त्र गवाहान से जरिये मोबाईल फोन सम्पर्क कर 10.00 ए.एम पर कार्यालय मे उपस्थित होने हेतु निर्देशित किया गया। दिनांक 31.10.2022 समय 10.30 ए.एम पर परिवादी कार्यालय श्री महेन्द्र कार्यालय मे उपस्थित आया तथा तलब शुदा स्वतन्त्र गवाह श्री भवंर लाल व श्री मिश्रीलाल भी कार्यालय मे उपस्थित आये। कार्यालय की अलमारी मे सुरिक्षत रखे गये मैमोरी कार्ड व डिजीटल वायॅस रिकॉर्डर को निकाला जाकर रिश्वत मांग सत्यापन वार्ताओ की फर्द ट्रासंकिप्ट बनाया जाना आरम्भ किया गया। समय 10.45 ए.एम पर परिवादी श्री महेन्द्र तथा स्वतन्त्र गवाह श्री भवंर लाल तथा श्री मिश्रीलाल की उपस्थिति में श्री महेन्द्र व आरोपी श्री नरेन्द्र सिंह, उप निरीक्षक के मध्य दिनांक 29.07.2022 को पुलिस थाना बिलाडा जिला जोधपुर मे हुई रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता की ट्रासंकिप्ट श्री कैलाश चारण हैड कानि0 से टाईप करवाकर तैयार करवाई गई। मूल मेमोरी कार्ड सहित वॉयस रिकार्डर को कम्प्यूटर से कनेक्ट रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता की चार डीवीडी तैयार की गई। उक्त डीवीडी को पृथक–पृथक बिना सिल्ड कागज के लिफाफे मे सुरक्षित रखा गया। मूल मेमोरी कार्ड 16 जीबी कम्पनी sandisk को वॉयस रिकार्डर से निकालकर मूल मेमोरी कार्ड को सफेद कपडे की थेली मे रखकर सिल्ड किया जाकर मार्क "एम" अंकित किया गया। दिनांक 31.10.2022 समय 02.15 पीए.एम पर परिवादी श्री महेन्द्र तथा स्वतन्त्र गवाह श्री भवंर लाल तथा श्री मिश्रीलाल की उपस्थिति में परिवादी श्री महेन्द्र व आरोपी श्री नन्द किशोर उप निरीक्षक पुलिस थाना बिलाडा जिला जोधपुर के मध्य दिनांक 30.07.2022 को पुलिस थाना बिलाडा जिला जोधपुर मे हुई रिश्वत मांग सत्यापन रूबरू वार्ता की ट्रासंकिप्ट श्री कैलाश चारण हैड कानि0 से टाईप करवाकर तैयार करवाई गई। डिजीटल वॉइस रिकॉर्डर मे रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता रक्षित हुई है, वॉयस रिकार्डर को कम्प्यूटर से कनेक्ट रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता की पांच डीवीडी तैयार की गई। एक डीवीडी को माननीय न्यायालय हेतु सफेद कपडे की थेली मे रखकर सिल्ड किया जाकर मार्क "एस" अंकित किया गया। सफेद कपडे की थैली पर सभी संबन्धित के हस्ताक्षर करवाये। शेष चार डीवीडी को पृथक–पृथक बिना सिल्ड कागज के लिफाफे मे सुरक्षित रखा गया। समय 04.25 पीए.एम पर परिवादी श्री महेन्द्र तथा स्वतन्त्र गवाह श्री भवंर लाल तथा श्री मिश्रीलाल की उपस्थिति में परिवादी श्री महेन्द्र व आरोपी श्री नन्द किशोर उप निरीक्षक पुलिस, पुलिस थाना बिलाडा के मध्य दिनांक 31.07.2022 को आरोपी के पुत्र के मोबाईल फोन से रिश्वत राशि लेनदेन से पूर्व हुई वार्ता की ट्रासंकिप्ट श्री कैलाश चारण हैड कानि0 से टाईप करवाकर तैयार करवाई गई। मूल मेमोरी कार्ड सहित वॉयस रिकार्डर को कम्प्यूटर से कनेक्ट उक्त वार्ता की चार डीवीडी तैयार की गई। चारो डीवीडी को पृथक–पृथक बिना सिल्ड कागज के लिफाफे मे सुरक्षित रखा गया। मूल मेमोरी कार्ड 16 जीबी कम्पनी ADATA को वॉयस रिकार्डर से निकालकर मूल मेमोरी कार्ड के सफेद कपडे की थेली मे रखकर सिल्ड किया जाकर मार्क एम–1 अंकित किया गया। समय 05.05 ए.एम पर परिवादी श्री महेन्द्र तथा स्वतन्त्र गवाह श्री भवंर लाल तथा श्री मिश्रीलाल की उपस्थिति में परिवादी श्री महेन्द्र व आरोपी मध्यस्थ श्री ओम सिंह राजपुरोहित के मध्य दिनांक 20.08.2022 को रिश्वत राशि के संबंध में जरिये मोबाईल व रूबरू वार्ता की ट्रासंकिप्ट श्री कैलाश चारण हैड कानि0 से टाईप करवाकर तैयार करवाई गई। मूल मेमोरी कार्ड सहित वॉयस रिकार्डर को कम्प्यूटर से कनेक्ट उक्त वार्ता की चार डीवीडी तैयार की गई। चारो डीवीडी को पृथक–पृथक बिना सिल्ड कागज के लिफाफे मे सुरक्षित रखा गया। मूल मेमोरी कार्ड 16 जीबी कम्पनी ADATA को वॉयस रिकार्डर से निकालकर मूल मेमोरी कार्ड के सफेद कपडे की थेली मे रखकर सिल्ड किया जाकर मार्क एम–2 अंकित किया गया। मुर्तिब शुदा ट्रासंकिप्ट्स व डीवीडी के सम्बन्ध मे धारा 65 बी साक्ष्य अधिनियम का प्रमाण पत्र तैयार किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। परिवादी द्वारा रिश्वत राशि 10,000 रूपये लौटाने का निवेदन कर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। बाद प्राप्ति रसीद परिवादी महेन्द्र को 10,000 रूपये लौटाये गये। जब्त शुदा/मुर्तिब शुदा मैमोरी कार्ड/डीवीडी मालखाना प्रभारी को सुपुर्द कर मालखाना मे सुरक्षित रखवाये गये।

इस प्रकार आरोपी श्री नन्द किशोर उप निरीक्षक पुलिस द्वारा बिलाडा जिला जोधपुर ग्रामीण द्वारा परिवादी महेन्द्र पुत्र श्री चुन्नीलाल जाति जाट उम्र 39 साल निवासी गांव छितरिया तहसील–सोजत सिटी जिला पाली के विरूद्व पुलिस थाना बिलाडा जिला जोधपुर ग्रामीण जोधपुर में दर्ज प्रकरण संख्या प्रकरण संख्या 162/2022 धारा 370,420, व 120 बी आईपीसी मे मदद करने व एफ आर लगाने की एवज में रिश्वत राशि की मांग कर दस हजार रूपये रिश्वत राशि लेने की सहमति प्रदान की गई। प्रकरण में आरोपी द्वारा अपने प्राईवेट दलाल श्री ओम सिंह निवासी बिलाडा के मार्फत परिवादी श्री महेन्द्र से रिश्वत की मांग की तथा ओम सिंह द्वारा आरोपी श्री नन्द किशोर के इस षडयन्त्र मे शामिल होकर परिवादी महेन्द्र से उक्त प्रकरण में मदद करने की एवज में श्री नन्द किशोर उप निरीक्षक के लिये रिश्वत की मांग की गई जो आरोपियान का उक्त कृत्य जुर्म धारा 7,7ए भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 व 120 बी आईपीसी का कारित किया जाना प्रथम दृष्टया प्रमाणित है।

प्रकरण मे श्री नरेन्द्र सिंह उप निरीक्षक पुलिस थाना बिलाडा जिला जोधपुर ग्रामीण द्वारा पुलिस थाना बिलाडा मे परिवादी महेन्द्र के विरूद्व दर्ज प्रकरण संख्या 54/2022 धारा 406,420,120 बी के सम्बन्ध मे परिवादी से किये गये वार्तालाप बाबत विभागीय कार्यवाही हेतु स्वपूर्ण टिप्पणी प्रेषित की जा रही है।

परिवादी द्वारा प्रस्तु प्रार्थना पत्र,रनिंग नोट,फर्द ट्रासंकिप्ट रिश्वत मांग सत्यापन वार्ताओ से पाया गया है कि श्री नन्द किशोर पुत्र श्री श्याम दास उम्र 51 साल निवासी गांव देवरिया जैतारण जिला पाली हाल उप निरीक्षक पुलिस थाना बिलाडा जिला जोधपुर ग्रामीण द्वारा बिलाडा जिला जोधपुर ग्रामीण द्वारा परिवादी महेन्द्र पुत्र श्री चुन्नीलाल जाति जाट उम्र 39 साल निवासी गांव छितरिया तहसील–सोजत सिटी जिला पाली के विरूद्व पुलिस थाना बिलाडा जिला जोधपुर ग्रामीण जोधपुर में दर्ज प्रकरण संख्या प्रकरण संख्या 162/2022 धारा 370,420, व 120 बी आईपीसी मे मदद करने व एफ आर लगाने की एवज में रिश्वत राशि की मांग कर दस हजार रूपये रिश्वत राशि लेने की सहमति प्रदान की गई। प्रकरण में आरोपी द्वारा अपने प्राईवेट दलाल श्री ओम सिंह निवासी बिलाडा जिला जोधपुर के मार्फत परिवादी श्री महेन्द्र से रिश्वत की मांग की तथा ओम सिंह द्वारा आरोपी श्री नन्द किशोर के इस षडयन्त्र मे शामिल होकर परिवादी महेन्द्र से उक्त प्रकरण में मदद करने की एवज में श्री नन्द किशोर उप निरीक्षक के लिये रिश्वत की मांग की गई जो आरोपियान का उक्त कृत्य जुर्म धारा 7,7ए भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 व 120 बी आईपीसी का कारित किया जाना प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया जाने पर बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट तैयार कर वास्ते कमांकन श्रीमान महानिदेशक पुलिस भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,राजस्थान जयपुर की सेवा मे सादर प्रेषित है।

(प्रभुलाल कुमावत)
उप अधीक्षक पुलिस
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,
अजमेर

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री प्रभुलाल कुमावत, उप अधीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, अजमेर ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7, 7ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (यथा संशोधित 2018) एवं 120बी भादंसं में अभियुक्त 1. श्री नन्द किशोर, उप निरीक्षक पुलिस, पुलिस थाना बिलाड़ा, जिला जोधपुर ग्रामीण एवं 2. श्री ओम सिंह निवासी बिलाड़ा, जिला जोधपुर (प्राईवेट व्यक्ति) के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 510/2022 उपरोक्त धाराओं में दर्ज कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

30.12.22

(योगेश दाधीच)
पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।

क्रमांकः- 4267-70 दिनांक 30.12.2022

प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, जोधपुर।
2. उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, अजमेर।
3. महानिरीक्षक पुलिस, जोधपुर रेंज, जोधपुर।
4. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, अजमेर।

30.12.22

पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।